(26)

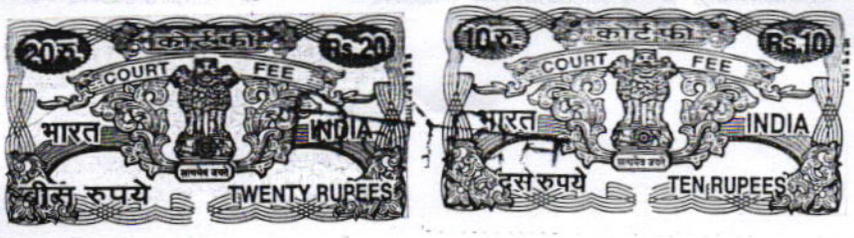

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क्र0 निगरानी —एक / 16

निग0 2210-I/16

श्री ... अभिभाषक द्वारा आज दि. 4/7/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

4/7/16

1— गोरेलाल

2— हरदास

3— कमला

4— आशाराम

5— रतना पुत्रगंण श्री पनघाती

निवासी बुडेरा तहसील व जिला

टीकमगढ म0प्र0

— आवेदकगंण

विरूद्व

1— मुन्नीलाल

2— बाबूलाल

3— दुर्जना पुत्रगंण श्री रंजना बुनकर

निवासी बुडेरा तहसील व जिला

टीकमगढ म0प्र0

—— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला टीकमगढ़ प्र0क0 36 / अ—6 / 2012—13 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2210-एक/2016 जिला टीकमगढ़ गोरेलाल विरूद्ध मुन्नीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 06-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 01/2/19 सदस्य	